बिजनौर पुलिस

Date:- 16.11.2021

PRESS NOTE

स्वाट टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में सुपारी लेकर लेक्चरार प्रिया शर्मा की हत्या करने वाले 25–25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित 03 अभियुक्तगण अवैध शस्त्र, मोबाइल व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 29.10.2021 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत साकेत कॉलोनी में रह रही प्राइवेट कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरार श्रीमती प्रिया शर्मा पत्नी कमल शर्मा नि0 मौ0 कायस्थान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 750/2021 धारा 304बी/498ए/302 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम कमल शर्मा (प्रिया का पति) व 01 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा की गयी जॉच में प्रकाश में आया कि मृतका प्रिया शर्मा उपरोक्त द्वारा दिनांक 28.10.2021 को अपने ससुरालीजनों पर दहेज को लेकर मारपीट/प्रताडित किये जाने आदि के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 696/21 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 बनाम **1–कमल शर्मा (पति) नि0ग्राम भटावली थाना हरथला जनपद मुरादाबाद तथा सास, ननद, बिचौलिया, ममेरा ससुर, ममेरी सास सहित 06 नफर** पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है।

दिनांक 02.11.2021 को थाना कोतवाली शहर व स्वाट टीम द्वारा विदुरकुटी चाँदपुर रोड पर चैकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में **अभियुक्त राजू (29 वर्ष) पुत्र चन्द्रपाल निवासी खदाना थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद (25,000/रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त)** को 01 मोटरसाईकिल नम्बर यूपी 23 बीए 0504 हीरो स्प्लेंडर व अवैध पिस्टल .32 बोर मय जिंदा व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था। इसका एक अन्य साथी गोलू निवासी काशीराम कॉलोनी जनपद मुरादाबाद मौके से फरार हो गया था। **पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा प्रिया शर्मा के कातिलों पर 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।**

आज दिनांक 16.11.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **झालू रोड पर काली माता के मन्दिर के पास** मोटर साइकिल सवार अभियुक्तगण को पकडने का प्रयास किया तो बदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा सूझबूझ से घेराबंदी कर अभियुक्तगण **1–विक्रान्त पुत्र राजवीर सिंह 2–अंकुर उर्फ बिट्टू पुत्र जोगराज 3–कपिल उर्फ छोटू पुत्र तेजपाल सिंह** को 02 तंमचा 12 बोर, 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 03 जिंदा कारतूस 12 बोर व 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर 01 मोबाईल, 5840/रूपये नगद, 01 बिना नम्बर की मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स रंग काला, जिसका इंजन व चेसिस नम्बर भी खुदा हुआ है, सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 794/2021 धारा 307/420/485 भादवि बनाम विक्रान्त, अंकुर व कपिल उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 795/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम विक्रान्त, मु0अ0सं0

796/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अंकुर उर्फ बिट्टू एवं मु0अ0सं0 797/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम कपिल उर्फ छोटू पंजीकृत किया गया।

<u>**पूछताछ का विवरण–**</u> गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि कि गोपाल शर्मा (कमल शर्मा का तहेरा भाई) पुत्र लच्छू राम शर्मा निवासी ग्राम भटावली थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद व विक्रान्त दोनो विमल ट्रान्सफार्मर फैक्टरी मुरादाबाद मे काम करते थे गोपाल शर्मा ने अभियुक्त विक्रान्त को बताया कि उसके चचेरे भाई कमल शर्मा का अपनी पत्नी व साढू से कुछ विवाद चल रहा है, जिनका काम तमाम कराना है उस सिलसिले मे तुम कमल शर्मा से मिल लो गोपाल शर्मा ने विक्रान्त को अभियुक्त प्रिया के पति कमल शर्मा से मिलवाया था, उसके बाद से विक्रान्त का कमल शर्मा के यहा आना जाना हो गया था। कमल शर्मा का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था इसी बात को लेकर कमल शर्मा ने विक्रान्त को अपनी पत्नी प्रिया शर्मा व उसकी मदद कर रहे उसकी बहन व जीजा को रास्ते से हटाने के लिये विक्रान्त से बात की तो विक्रान्त ने अंकुर उर्फ बिटटू के जरिये कमल शर्मा को राजू कश्यप व कपिल उर्फ छोटू <u>**(शूटरो का मुखिया)**</u> व गोलू से मिलवाया तथा कमल शर्मा की माँ बर्षा व बहन डोली के साथ मिलकर प्रिया शर्मा व उसकी बहन व जीजा को मारने की योजना बनाई थी। प्रिया शर्मा व उसकी बड़ी बहन संगीता शर्मा व जीजा ब्रजेश कौशिक को मारने के लिये कमल शर्मा से 12 लाख रूपये तय हुये थे, जिनमें से 5 लाख 50 हजार रूपये हम सभी को कमल शर्मा ने रंग फैक्टरी हरथला मुरादाबाद रोड पर दे दिये थे, जिसमे से गोलू व राजू कश्यप ने 50–50 हजार रूपये हम तीनों को दे दिये थे तथा शेष रुपये राजू कश्यप व गोलू के पास है, जिसमे सबसे ज्यादा रूपये गोलू के पास तथा शेष 06 लाख 50 हजार रूपये काम होने पर देने की बात तय हुई थी।

प्रिया शर्मा की रैकी करने के लिये घटना करने से कुछ दिन पूर्व हम सभी लोग कमल शर्मा की बहन डोली व माँ बर्षा शर्मा के साथ बिजनौर आये थे, जिन्होंने हमें प्रिया शर्मा का घर व आस पास के रास्ते व दूर से प्रिया शर्मा को भी दिखाया। दिनांक 29.10.2021 को योजनाबद्व तरीके से राजू कश्यप व कपिल उर्फ छोटू व गोलू तीनो लोग बिजनौर द्वारा प्रिया शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जिसमें बाद में कमल शर्मा के कहने पर राजू कश्यप व गोलू दिनांक 02.11.20211 को उसके साढू ब्रजेश कोशिक को मारने के लिये आये थे, जिसमे राजू कश्यप को पुलिस ने पकड लिया था तथा गोलू भाग गया था। आज हम तीनो भी कमल शर्मा के कहने पर उसके साढू ब्रजेश कौशिक की हत्या करने जा रहे थे कि आपने पकड लिया। <u>**प्रकरण के सम्बन्ध में 1–कमल शर्मा (पति) 2–गोपाल शर्मा (कमल शर्मा का तहेरा भाई) 3–गोलू (शूटर) 4–वर्षा (प्रिया की सास) 5–डोली (प्रिया की ननद) कुल 05 लोगो की गिरफ्तारी शेष है।**</u> जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

1–विक्रान्त पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम खलीलपुर अमरू थाना छजलैट, मुरादाबाद

2–अंकुर उर्फ बिट्टू पुत्र जोगराज निवासी ग्राम महलकपुर थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद

3–कपिल उर्फ छोटू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम महलकपुर थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1– 02 तंमचं 12 बोर

2– 01 तमंचे 315 बोर

3– 01 खोखा व 03 जिंदा कारतूस 12 बोर

4– 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

5– 01 मोबाईल

6– 5840/रूपये नगद

7– 01 मोटर साइकिल एचएफ डिलक्स रंग काला (इंजन व चेसिस नम्बर भी खुदा हुआ है)

<u>घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग का विवरण–</u>

1–मु0अ0सं0 794/2021 धारा 307/420/485 भादवि बनाम विक्रान्त, अंकुर व कपिल

2–मु0अ0सं0 795/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम विक्रान्त

3–मु0अ0सं0 796/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अंकुर उर्फ बिट्टू

4–मु0अ0सं0 797/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम कपिल उर्फ छोटू

<u>आपराधिक इतिहास–</u>

<u>अभियुक्त विकान्त उपरोक्त–</u>

मु0अ0सं0 750/2021 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

1–मु0अ0सं0 794/2021 धारा 307/420/485 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

2–मु0अ0सं0 795/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

<u>अभियुक्त अंकुर उर्फ बिट्टू उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0सं0 335/15 धारा 394 भादवि थाना पाकवाडा, मुरादाबाद

2–मु0अ0सं0 399/15 धारा 398/401 भादवि थाना पाकवाडा, मुरादाबाद

3–मु0अ0सं0 101/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना पाकवाडा, मुरादाबाद

4–मु0अ0सं0 750/2021 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

5–मु0अ0सं0 794/2021 धारा 307/420/485 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

6–मु0अ0सं0 796/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

<u>अभियुक्त कपिल उर्फ छोटू उपरोक्त</u>–

1–मु0अ0सं0 848/17 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद

2–मु0अ0सं0 750/2021 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

3–मु0अ0सं0 794/2021 धारा 307/420/485 भादवि थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

4–मु0अ0सं0 797/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर, बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–</u>

<u>स्वाट टीम का विवरणः–</u> निरीक्षक श्री नरेश कुमार, उ0नि0 श्री जर्रार हुसैन, कां0 1002 खालिद, कां0 1579 रहीश अहमद, कां0 1583 मोनू कुमार, कां0 952 विकास बैंसला व गाडी चालक कपिल कुमार

<u>थाना कोतवाली शहरः–</u> निरीक्षक श्री राधेश्याम, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरी, उ0नि0 श्री योगेश मावी, कां0 1069 हरेन्द्र कुमार, कां0 652 शिव सिंह, कां0 574 अंकुर चौधरी, कां0 739 अनुज कुमार व गाडी चालक कां0 1667 लवी प्रताप

<u>थाना स्योहारा–</u> आज दिनांक 16.11.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त खालिद पुत्र हुसैना निवासी मौहल्ला मिल्कियान कस्बा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा में मु0अ0सं0 652/21 धारा 04/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना स्योहारा–</u> आज दिनांक 16.11.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला शैखान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा में मु0अ0सं0 651/21 धारा 04/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>थाना नगीना देहात–</u> आज दिनांक 16.11.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 345/21 धारा 305 भादवि के वांछित अभियुक्त रजत पुत्र करणपाल निवासी ग्राम खुशहालपुर मठहरी थाना नगीना देहात को गिरफ्तार किया गया।

<u>थाना चांदपुर–</u> आज दिनांक 16.11.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 727/21 धारा 506 भादवि व धारा 66ए आईटी एक्ट वांछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र नेम कुमार निवासी ग्राम रामपुरा बागवान थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गॉवों में जाकर स्कलों में बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गावों में जाकर बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।